न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

अपील–33/2025

प्रीतिसिंह पत्नी स्व0 पुष्पेन्द्र सिंह जाति जाटव निवासी ग्राम नगला तेहरिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. शशीबाला पत्नि अंकुर जाति जाटव निवासी ग्राम नगला तेहरिया तहसील व जिला भरतपुर।
2. गायत्री पत्नि दिलीप जाटव निवासी ग्राम नगला तेहरिया तहसील व जिला भरतपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर भरतपुर के विज्ञप्ति संख्या 01/2025–2026 दिनांक 11.6.2025 के नियुक्ति आदेश दिनांक 19.9.2025 के विरूद्व अपील।

उपस्थित :–

1–श्री हेमन्त कुमार अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री मनहर सिह अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 08.04.2026

अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक यह अपील विज्ञप्ति राजस्थान सरकार ने कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के पद पर विज्ञप्ति संख्या 01/2025–26 दिनांक 11.6.2025 जारी कर रेस्पो0स01 व 2 के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्ट की तलब की गई । रैस्पोडेन्ट की ओर से जबाब प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि राजस्थान सरकार ने कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भरतपुर द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के पद पर विज्ञप्ति संख्या 01/2025–26 दिनांक 11.6.2025 के कम में दिनांक 11.6.2025 से 10.7.2025 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 1 व 2 ने भी आंगनवाडी कार्यकर्त्ता व सहायिका के पद हेतु आवेदन किया। अपीलांट एक विधवा महिला है उक्त पद पर रेस्पो0 1 व 2 का चयन कर दिया गया है और अपीलांट को सामान्य वर्ग मानकर एस.सी आरक्षण का लाभ नही दिया गया है। दिनांक 19.9.2025 को अपीलांट की नियुक्ति बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर ने गैर कानूनी तरीके से सारे नियमो को ताक पर रखते हुए नियुक्ति दी गई हैं। अपीलांट को किन कारणों से नियुक्ति नहीं दी गई है का उल्लेख नही किया गया है। इसकी जानकारी अपीलांट के ससुर ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर से सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन लगाने पर हुई जिसमें अपीलांट को सामान्य वर्ग में रखकर अन्य राज्य की महिला मानते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। अपीलांट एक विधवा महिला है और उसके पास मूलनिवास प्रमाण पत्र राजस्थान का है तथा आवेदन मे भी लगाया गया है। एस.सी. का प्रमाण पत्र भी मौजूद जो आवेदन के साथ संलग्न किया है। राजस्थान सरकार अब वर्तमान में जो महिला राजस्थान के बाहर से राजस्थान में शादी हुई हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र जारी करना राज्य में जारी करना बंद कर दिया और पीहर पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र को मानती है। अपीलांट राजस्थान की मूल निवासी है, को आरक्षित वर्ग का लाभ दिया जाना न्यायहित में उचित माना जावेगा और विधवा अपीलांट को बाहर की राज्य की महिला नही माना जाकर उसे राज्य की महिला नही माना गया है जबकि अपीलांट उक्त पद पर प्रबल दावेदार थी किन्तु बाल विकास परियोजना अधिकारी सेवर द्वारा रेस्पोडेन्टान से मोटी रकम ऐंठकर मिलीभगत कर सारे नियम कानूनो को ताक पर रखते हुये नियुक्ति दी गई है। अपीलांट के पास राशनकार्ड, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, विधवा प्रमाण पत्र स्वंय के नाम से है जिनमें अपीलांट राजस्थान की मूल निवासी है। जबकि राजस्थान सरकार निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं 2 जनपद गांधीनगर जयपुर के आदेश दिनांक 12.01.2023 द्वारा मानदेय कार्मिक की नियुक्ति परिपत्र चयन प्रकिया की मद संख्या 6 के चयन हेतु पात्रता में स्पष्ट अंकित किया हुआ है, जिसमें स्थानीय निवासी होना अपीलांट स्थानीय व उसी वार्ड की मूल निवासी है तथा विधवा महिला है। चयन प्रकिया की मद संख्या 6ए में स्पष्ट किया है कि विधवा महिला व तलाक शुदा को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। परियोजना अधिकारी द्वारा अपीलांट को सामान्य वर्ग की महिला मानकर वरियता सूची से बाहर कर भारी भूल की है और रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व 2 की नियुक्ति रद्द की जावें। अन्त में अभिभाषक अपीलांट द्वारा अप्रार्थीगण की गई नियुक्ति को रद्द किये जाने व जांच कमेटी गठित कर उचित जांच किये जाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार बाल विकास परियोजना अधिकारी भरतपुर सेवर ने अपने कथनों में जाहिर किया है कि कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

विज्ञप्ति संख्या 01/2025–2026 दिनांक 11.6.2025 के द्वारा परियोजना सेवर के अधीन कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त चयन कार्यवाही विभागीय परिपत्र 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871–58288 दिनांक 01.03.2024 में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना की गई। अपीलांट के पास एस.सी जाति प्रमाण मौजूद है किन्तु वह ईदगाह कालोनी औरंगाबाद तहसील सदर जिला मथुरा का है जो विभागीय परिपत्र 57871–58288 दिनांक 01.03.2024 के बिन्दु संख्या 03 में दिये गये नोट" **राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेश की आरक्षित वर्ग की महिला होने पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नही दिया जाकर केवल सामान्य वर्ग में माना जावेगा**" साथ ही उक्त केन्द्र पर विज्ञप्ति अनुसूचित जाति के आरक्षित वर्ग हेतु जारी की गई थी क्योंकि अपीलांट को विभागीय परिपत्र अनुसार सामान्य वर्ग में माना जाकर संबंधित के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था। अप्रीलांट द्वारा समस्त दस्तावेज विवाह उपरांत जारी कराये गये है जो कि उसके ससुराल के है परन्तु आवेदक मूल निवासी ईदगाह कालोनी औरंगाबाद तहसील सदर जिला मथुरा की है जो अन्य राज्य की महिला होने पर आरक्षित वर्ग का लाभ नही दिया जा सकता। विभागीय नियमानुसार चयन आंगनवाडी कार्यकर्ता को दिनांक 19.9.2025 को तथा सहायिका का दिनांक 18.92025 को जारी किये जा चुके है। विभागीय परिपत्र 4244 दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 6 के उपबिन्दु बी विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप चयन नही किया गया है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट इसी आधार पर खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 व 2 ने कथन किया है कि कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग भरतपुर की विज्ञप्ति संख्या 01/2025–2026 दिनांक 11.6.2025 के द्वारा परियोजना सेवर के अधीन कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र किया गया था जिनका चयन राज्य सरकार के मापदण्डो अनुसार किया गया है तथा नियुक्ति आदेश भी चयन प्रकिया के अनुसार जारी किये गये है। उक्त चयन प्रकिया में किसी भी प्रकार की कोई सांठ गांठ नही की है मात्र योग्यता/वरियता के आधार पर ही हमारा चयन किया गया है जो कि हम इसके लिए योग्य है। अपीलांट द्वारा किये गये कथन मिथ्या है। अपीलांट अपीलांट को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग भरतपुर की विज्ञप्ति संख्या 01/2025–2026 दिनांक 11.6.2025 के द्वारा परियोजना सेवर के अधीन कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। अपीलांट का कथन है कि उसे चयन प्रकिया में एस.सी का जाति प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी होने के बाद भी उसका चयन सामान्य वर्ग की महिला के रूप में किया गया है जो गलत है क्योंकि अपीलांट एक विधवा महिला है तथा उसी वार्ड की निवासी है जिसमें चयन होना है। अपीलांट के पास राशनकार्ड, आधारकार्ड, जनाधार कार्ड आदि से मूलनिवासी होने पर भी उसका चयन नही किया गया है। पैरोकार सरकार ने कथन किया है कि उक्त चयन प्रकिया राज्य सरकार के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निदेशा निर्देशों के पालना में की गई है जिसमें उक्त केन्द्र नगला तेहरिया का आरक्षण एस.सी महिला का था। अपीलांट का जाति प्रमाण पत्र एस.सी जाति प्रमाण मौजूद है किन्तु वह ईदगाह कांलोनी औरंगाबाद तहसील सदर जिला मथुरा का है जो विभागीय परिपत्र 57871–58288 दिनांक 01.03.2024 के बिन्दु संख्या 03 में दिये गये नोट" **राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेश की आरक्षित वर्ग की महिला होने पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नही दिया जाकर केवल सामान्य वर्ग में माना जावेगा"** साथ ही उक्त केन्द्र पर विज्ञप्ति अनुसूचित जाति के आरक्षित वर्ग हेतु जारी की गई थी क्योंकि अपीलांट को विभागीय परिपत्र अनुसार सामान्य वर्ग में माना जाकर सबंधित के आवेदन पत्र को निरस्त का किया गया है। अपीलान्ट को राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, को Public Employment रोजगार में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नही दिये जाने का प्रावधान है इसलिए उन्हे सामान्य वर्ग का मानते हुये वरियता से हटा दिया तथा अन्य वरियताधारी का चयन किया गया है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य (न्यायिक दृष्टांत/परिपत्र) प्रस्तुत नही किया जिससे कि अपील का समर्थन सिद्व हो सके।

इस प्रकार अपीलान्ट के पास जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का है किन्तु अपीलान्ट अन्य राज्य से विवाहोपरांत राजस्थान राज्य की निवासी बनी है, ऐसी स्थिति में विभागीय परिपत्रों के अनुसार अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही मानी जाकर सामान्य वर्ग की श्रेणी में मानी गई है। विभाग की विज्ञप्ति अनुसार आंगनवाडी कार्यकर्ता का पद अनुसूचित जाति के आरक्षित होने से अपीलांट का चयन बाल विकास अधिकारी सेवर द्वारा निरस्त कर द्वितीय वरियता की अभ्यर्थी का चयन किया गया है जो न्यायसंगत है। बाल विकास अधिकारी सेवर के आदेश में कोई न्यायिक त्रुटि न होने पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति महिला एवं बाल विकास अधिकारी सेवर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नंबर से कम होकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.4.2026 को सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर